



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167493

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27868 वर्ष 2026

अजय शुक्ला @ सूरज शुक्ला

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता

: आद्य प्रसाद तिवारी

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आद्य प्रसाद तिवारी, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी पाल, जिनकी उपस्थिति हेतु वकालतनामा आज दाखिल किया गया है, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर में धारा 85, 351(2), 80(2) बीएनएस तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 141 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार आवेदक और मृतका के बीच किसी अन्य महिला के साथ आवेदक के अवैध संबंध को लेकर विवाद था तथा आवेदक 10 लाख रुपये की दहेज की मांग पूरी न किए जाने पर पीड़िता को प्रताड़ित भी करता था। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचनाकर्ता, मृतका के भाई तथा कई ग्रामीणों ने धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि वास्तविक विवाद किसी अन्य महिला के साथ आवेदक के अवैध संबंध को लेकर था और दहेज की मांग अथवा उससे संबंधित उत्पीड़न को लेकर कोई विवाद नहीं था। आगे प्रस्तुत किया गया कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण फांसी है। केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कथित रूप से किसी अन्य महिला के साथ आवेदक के संबंध को लेकर उसके साथ हुए संक्षिप्त विवाद के बाद मृतका ने आत्महत्या कर ली। अतः, यद्यपि मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है, फिर भी मामला दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आवेदक और मृतका के बीच आवेदक के कथित रूप से किसी अन्य महिला के साथ संबंध के मुद्दे को लेकर संबंधों में तनाव था और आवेदक को केवल इसी आधार पर झूठा फंसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने साथ संलग्न शपथपत्र में एक मामले के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक दिनांक 25.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन** के मामले में दिए गए निर्णय, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्टेड है, के निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशानिर्देश, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्टेड है, को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

6. आवेदक-**अजय शुक्ला @ सूरज शुक्ला**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस उपक्रम के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सूओ मोटू रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एससीसी 685 में प्रकाशित मामले में पारित आदेश के अनुपालन में, तथा पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत मामले के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर गोरखपुर जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा आवेदक को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

11 अगस्त, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”